अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक शोभानाथ विश्वकर्मा .....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम परमेश्वर राणा .....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .....से .....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या .....119.....सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक/आवेदिका शोभानाथ विश्वकर्मा पे० स्व० दर्शन राणा, साकिन–मंझिलाडीह, थाना–बिरनी, जिला–गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा–मंझिलाडीह, अंतर्गत खाता नं०–15, प्लॉट नं०–701, रकवा–9.5 डी०, चौहद्दीः उ०–सुन्दर मिस्त्री वगै०, द०–राजु मिस्त्री वगै०, पू०–बलदेव मिस्त्री, प०–प्रमेश्वर मिस्त्री में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बिरनी से मांगे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बिरनी के ज्ञापांक सं0 1926/22 दिनांक 06.09.22 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 20/9/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय।

अभिलेख दिनांक 20/9/22 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
3/12/22	प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग की गई। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि उन्हें निबंधित विक्रय पत्र सं0-43, दिनांक-7.1.22 के माध्यम से हासिल है। उक्त भूमि के क्रय के पश्चात् लगातार दखलकार रहे हैं। द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। द्वितीय पक्ष उपस्थित होकर भी आदेशानुसार कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये। थाना प्रभारी, बिरनी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि परती है तथा उभय पक्ष अपना-अपना दावा कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष एग्रीमेन्ट के आधार पर उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। Registration Act, 1908 के Part-III में वर्णित प्रावधानों	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही सम्पत्ति हस्तानान्तरण हो सकता है, अतः द्वितीय पक्ष का दावा विधि सम्मत नहीं है। उक्त विवेचन के आलोक में नियमत को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित किया जाता है। यह आदेश द. प्र. स. की धारा 144(4) के अंतर्गत परिचालित होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। [illegible signature] SDM Bagodar. Sariya.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.03.25 15:10:25 +05:30
Location: 192.168.1.7